(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2465—दो/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 15—07—2014 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार, बुधनी, जिला—सीहोर के प्रकरण क्रमांक 32/अ—12/2013—14

.....

सुन्दरदेवी गृह निर्माण समिति—माना,
तहसील, बुधनी, जिला—सीहोर द्वारा सचिव
श्री देवमणी मिश्रा, निवासी—होशंगाबाद

.....आवेदक

विरूद्ध

1— मो0 युनुस आत्मज मेहमूद ,
निवासी—इदगाह मस्जिद के पास इटारसी,

2— मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार, बुधनी
जिला—सीहोर, मध्यप्रदेश

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1

.....

आदेश

(आज दिनांक 02/05/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार बुधनी, जिला—सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15—07—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि अनावेदक क्र0 1 मो0 युनुस द्वारा ग्राम माना स्थित विवादित भूमि खसरा क्रमांक 78/2/2 रकबा 0.554 है0 का सीमांकन किये जाने हेतु न्यायालय तहसीलदार, बुधनी के समक्ष आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया । उक्त आवेदन के आधार

पर तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को सीमांकन की कार्यवाही किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये। राजस्व निरीक्षक ने स्थल का निरीक्षण किया एवं सीमांकन की कार्यवाही सम्पन्न करते हुये, प्रतिवेदन पंचनामा, फील्डबुक तैयार कर तहसीलदार बुधनी के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन पंचनामा, फील्डबुक के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.07.2014 को सीमांकन की पुष्टि की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया है कि सीमांकन की कार्यवाही विधि प्रक्रिया के विपरीत की गई है। सीमांकन के पूर्व संबंधित लगे हुये खातेदारों को सूचना देना अनिवार्य है, परन्तु सीमांकन की कार्यवाही में सभी पड़ौसी कृषकों को सूचित नहीं किया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही विधि अनुसार नहीं की गई है, जो फील्ड बुक तैयार की गई है उससे स्पष्ट हो जाता है कि बिना स्थाई सीमा चिन्हों के सीमांकन किया गया है जो नियमानुसार न होने से निरस्ती योग्य है। अंत में आवेदक के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित सीमांकन आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रतिउत्तर में तर्क प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम पटवारी हल्का न0 6 राजस्व निरीक्षक मण्डल बुधनी, तहसील बुधनी जिला–सीहोर में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 78/2/2 पर दर्ज रकबा 1.37 एकड़ का भूमिस्वामी एवं कब्जेदार यह भूमि उसने दिनांक 23.09.2005 को अब्दुल हमीद से खरीदी थी। विक्रय पत्र में उक्त भूमि की चर्तुसीमा इस प्रकार पूर्व में रेल्वे लाईन, पश्चिम सरकारी सड़क, उत्तर शरीका की भूमि तथा दक्षिण में नैन सुख आत्मज इन्द्रा की भूमि स्थित है। वर्तमान में उसे मौके पर अपनी भूमि की चर्तुसीमा का ज्ञान न होने से अनावेदक ने तहसीलदार बुधनी के समक्ष सीमांकन किये जाने बावत आवेदन पत्र पेश किया था और तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन पत्र के आधार पर सीमांकन का आदेश पारित किया है। अतः अनावेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधिनुकूल होने से स्थिर रखे जाने तथा निगरानी प्रचलन योग्य न हो होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में संलग्न राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन एवं

स्थल पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमावर्ती कृषकों को दिनांक 25.06.14 को सीमांकन किये जाने हेतु सूचना पत्र तो जारी किया गया गया है पर उस पर सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर नहीं है। जहां तक आवेदक अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये तर्कों का प्रश्न है कि उन्हें व सरहदी कास्तकारों को कोई सूचना जारी नहीं किया एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया । यह तर्क मान्य किये जाने योग्य है, क्योंकि सीमांकन की कार्यवाही के पूर्व बटांकन नहीं किया गया है। बटांकन के पश्चात ही सीमांकन किया जाना चाहिये। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट नहीं है कि राजस्व निरीक्षक ने स्थाई सीमा चिन्हों से सीमांकन किया है । सीमांकन नियमों के अनुकूल नहीं किया है। अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है तथा तहसीलदार बुधनी द्वारा दिनांक 15.07.2014 को सीमांकन की पुष्टि कर जो आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बुधनी का आदेश दिनांक 15–07–2014 निरस्त किया जाता है तथा पुनः प्रकरण में सीमांकन नियमों का पालन करते हुये एवं सभी सरहदी कास्तकारों को सूचना देते हुये उनके समक्ष सीमांकन की कार्यवाही हेतु तहसील न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर